"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2007—चैत्र 5, शक 1929

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2007

क्रमांक 05/चार/लो. स. उप चु./07/713.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. 434/छ. ग. लो. स./2003/2624 दिनांक 20 मार्च 2007 सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 19 मार्च, 2007—28 फाल्गुन, 1928 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-लो. स. /2003 (1). — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 7 अक्टूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-लो. स./2003 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
11- राजनांदगांव	83- चौकी (अ. ज. जा.)	1. वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला
	84-खुज्जी	1. कार्यपालन अभियंता, लो. स्वा. यांत्रिकी, राजनांदगांव. 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव.
	85-डोंगरगांव	1. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव. 2. मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना, राजनांदगांव.
	86-राजनांदगांव	1. वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ 2. कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, खैरागढ़.
	87 डोंगरगढ़ (अ. जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ 2. उप संचालक कृषि, राजनांदगांव
	88-खैरागढ़	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ 2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.

निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी.

आदेश से,
हस्ता./-

(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 19th March, 2007—28 Phalguna, 1928 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-HP/2003(1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/CG-HP/2003 (1) dated 7th October, 2003, namely :-

In column (2) of the table appended below to the said Notification, the following entries shall be added :-

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
11-Rajnandgaon	83-Chowki (ST)	1. Divisional Forest Officer, Rajnandgaon. 2. Sub Divisional Officer (Revenue) Mohala.
	84-Khujji	1. Executive Engineer, P. H. E., Rajnandgaon. 2. Commissioner, Municipal Corporation, Rajnandgaon.
	85-Dongargaon	1. Executive Engineer, Irrigarion, Rajnandgaon. 2. Divisional Manager, Panabaras Pariyozna, Rajnandgaon.
	86-Rajnandgaon	1. Divisional Forest Officer, Khairagarth. 2. Executive Engineer, P. W. D., Khairagarh.
	87-Dongargarh (SC)	1. Sub Divisional Officer (Revenue) Dongargarh. 2. Dy. Director Agriculture, Rajnandgaon.
	88-Khairagarh	1. Sub Divisional Officer (Revenue) Khairagarh. 2. Executive Engineer, Irrigation, Chuikhadan.

The appointment of the above officers as Assistant Returning Officers in respective Constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the Constituency concerned.

By order,

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.